बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
वसूली विभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय, एर्नाकुलम क्षेत्र

शुद्धिपत्र

इस समाचार पत्र में 27.07.2026 को प्रकाशित स्वर्ण नीलामी सूचना दिनांक 24.07.2026 के संदर्भ में। चूंकि 28.08.2026 को केरला में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, **अतः स्वर्ण नीलामी 08.09.2026 (मंगलवार) को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 3.00 बजे के लिये स्थगित कर दी गई है।** स्वर्ण नीलामी सूचना में वर्णित अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे।

हस्ता/-
01.08.2026 क्षेत्रीय प्रबंधक

परिशिष्ट
(बिज़नेस स्टैंडर्ड के 22-07-2026 के अंक में विज्ञापन देखें)

स्थगित सुनवाई की सूचना

कंपनी याचिका संख्या सीपी/50/सीएच/2026 – एनसीएलटी, चंडीगढ़ पीठ
मैसर्स नेक्टर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
.....आवेदक

सुनवाई, जो पहले 23–07–2026 के लिए नियत थी, अब 10–09–2026 तक के लिए टाल दी गई है। आपत्तिकर्ता, यदि कोई, आस्थगित तिथि से कम से कम दो दिन पहले याचिकादाता के अधिवक्ता को अधिसूचित कर सकता है।

याचिकादाता के अधिवक्ता
मैसर्स डी रार लीगल एंड टेक्निकल कंसल्टेंट्स एलएलपी
legal@nectorinternational.com
+91–9667 2020 84

ऋण वसूली अधिकरण -1 के समक्ष बैंगलोर में

बीएसएनएल बिल्डिंग, चौथी मंजिल, टेलीफोन हाउस, राजभवन रोड, बैंगलोर -560 001
मुकदमा सं. ओ.ए. नंबर 843/2024
निम्नलिखित के बीचः
भारतीय स्टेट बैंक ... **उम्मीदवार**
और
श्रीमती सुजाता वर्मा और अन्य ..... **प्रतिवादी**

सेवा में
श्रीमती सुजाता वर्मा पत्नी श्री अरविंद कुमार, उम्र लगभग 38 वर्ष, रिजोइस टॉवर, सिक्का कार्मिक ग्रीन सेक्टर 78, नोएडा, पिन कोड- 201 301, उत्तर प्रदेश
इसके अलावाः श्रीमती सुजाता वर्मा पत्नी श्री अरविंद कुमार, उम्र लगभग 38 वर्ष, कार्यस्थलः जॉन्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, एच 150, सेक्टर 63, नोएडा - 201 301.
2. श्री अरविंद कुमार पुत्र श्री नेपाल सिंह, उम्र लगभग 43 वर्ष, रिजोइस टॉवर, सिक्का कार्मिक ग्रीन सेक्टर 78, नोएडा, पिन कोड- 201 301, उत्तर प्रदेश।
इसके अलावा : श्री अरविंद कुमार पुत्र श्री नेपाल सिंह, आयु लगभग 43 वर्ष, कार्यस्थलः जॉन्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, एच 150, सेक्टर 63, नोएडा - 201 301.
इसके अलावाः श्रीमती सुजाता वर्मा पत्नी श्री अरविंद कुमार, उम्र लगभग 38 वर्ष, फ्लैट नंबर ई-305, सूरजमुखी लाइन, केंगेरी गांव, केंगेरी होबली, बेंगलुरु - 560 060.
इसके अलावा : श्री अरविंद कुमार पुत्र श्री नेपाल सिंह, उम्र लगभग 43 वर्ष, फ्लैट नंबर ई-305, सूरजमुखी लाइन, केंगेरी गांव, केंगेरी होबली, बेंगलुरु - 560 060.

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 23 (VIII) के तहत प्रतिवादियों को कागज प्रकाशन के माध्यम से जारी समन

जबकि, आवेदक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली, अधिनियम, 1993 की धारा 19 के तहत उपरोक्त प्रतिवादियों के खिलाफ रु. 1,82,26,900/- (रुपये एक करोड़ बयासी लाख छब्बीस हजार नौ सौ मात्र) की राशि के साथ-साथ वर्तमान और भावी ब्याज, लागत, लागत और अन्य राहत के लिए एक आवेदन दाखिल किया है। इसलिए, उपर्युक्त प्रतिवादियों को उपस्थित होने की आवश्यकता है, इसलिए इसे व्यक्तिगत रूप से या एक वकील के माध्यम से अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है या 08.09.2026 को 10.30 बजे कारण बताओ के लिए अपने बचाव के समर्थन में विधिवत निर्देश दिया जाता कि जिस राहत के लिए प्रार्थना की गई है उसे क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। ध्यान दें कि चूक के मामले में, आपकी अनुपस्थिति में आवेदन पर सुनवाई और निर्धारण किया जाएगा।
इस 25.02.2026 को इस अधिकरण की मेरे हाथ और मुहर के तहत दिया गया।

अधिकरण के आदेश से
हस्ता./- रजिस्ट्रार -1
ऋण वसूली अधिकरण-1, बैंगलुरू

Market wisdom, straight from the sharpest minds in the game.

Cut through the noise every day with expert columns that decode trends before they unfold, only in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

Business Standard
Insight Out

उत्तर-प्रदेश ग्रामीण बैंक
(सरकार के स्वामित्वाधीन अनुसूचित बैंक)
प्रधान कार्यालयः गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ-226010

क्षेत्रीय कार्यालयः गाजियाबाद
18, संजय नगर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, राजनगर, गाजियाबाद (उ0प्र0)
फोन- 0120-2986071, E-mail: recovery.roghaz@upgb.bank.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसैट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्समेंट रुल 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर-प्रदेश ग्रामीण बैंक (पूर्वनाम प्रथमा यू पी ग्रामीण बैंक, भारत सरकार के दिनांक 07 अप्रैल 2025 के राजपत्र अधिसूचना CG-DL-E-07042025-262329 (F.No. 7/6/2024 (11)- RRB) के अनुसार, पूर्ववर्ती बड़ौदा यू .पी. बैंक, पूर्ववर्ती प्रथमा यू. पी. ग्रामीण बैंक और पूर्ववर्ती आर्यावर्त बैंक के समामेलन के फलस्वरूप 01.05.2025 से ''उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक'' अस्तित्व में है) के प्राधिकृत अधिकारी ने संबन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाए गए खाते के पदक नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणीयों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणीयों और जन-सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी जिनका पद नाम नीचे दिया गया है ने खातों के सामने दी गई तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम को धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/सम्पत्तियों का SYMBOLIC कब्जा ले लिया है। ऋणीयों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य को सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के संबंध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्तियों से किसी भी प्रकार का लेन-देन उत्तर-प्रदेश ग्रामीण बैंक को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

शाखा का नाम	ऋणी का नाम (सम्पत्ति स्वामी का नाम)	बंधक रखी गई सम्पत्तियों का विवरण	मांग/पजेशन चिपकाए गए नोटिस की तारीख	बकाया राशि
रेलवे रोड़ मेरठ	ऋणीः श्री रनवीर सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह। जमानतकर्ताः श्री विनोर कुमार पुत्र श्री लाल सिंह। खाता नं. 9155NC00003033.	आवासीय मकान प्लॉट नं. डी-17 का भाग, खसरा नं. 191/1, इंद्रप्रस्थ इस्टेट, सहकारी आवास समिति, फेज-1, पीलना सोफीपुर, रुड़की रोड, जिला मेरठ, जोकि श्री रनवीर सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह (बंधककर्ता) के नाम पर स्थित जिसका क्षेत्रफल 100.00 वर्ग मीटर, चौहद्दीः पूर्वः 18 मीटर/ प्लॉट नं. डी-17 का शेष भाग, पश्चिमः 18.37 मीटर/ अन्य की जमीन, उत्तरः 3.37 मीटर/ प्लॉट नं. डी-24, दक्षिणः 7.39 मीटर/ 09 मीटर चौड़ा रोड़।	मांग नोटिस की तिथि 17.03.2026 पजेशन की तिथि 29.07.2026	रू. 14,89,695.60 + देय ब्याज + देय अन्य खर्चे।
रेलवे रोड़ मेरठ	ऋणीः श्री शकील चौधरी पुत्र श्री रियाजुद्दीन चौधरी। जमानतकर्ताः श्री मो. यामीन पुत्र श्री शेर मोहम्मद। खाता नं. 9155NC00003404.	आवासीय फ्लैट, दूसरी तल, फ्लैट नं. एस- 2, प्लॉट नं. जीई/ए-56, गार्डेनिया इस्टेट, नूर नगर, जिला- मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002, क्षेत्रफल 86.90 वर्ग मीटर। चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. ए-57, पश्चिमः फ्लैट नंबर एस-1 और उसके बाद भू-तल पर प्लॉट नं. 55, उत्तरः भू-तल पर प्लॉट नंबर ए-44, दक्षिणः कॉमन पैसेज और सीढ़ियाँ, साथ ही भू-तल पर 09 मीटर चौड़ा रोड़।	मांग नोटिस की तिथि 04.05.2026 पजेशन की तिथि 29.07.2026	रू. 16,48,906.00 + देय ब्याज + देय अन्य खर्चे।
रेलवे रोड़ मेरठ	ऋणीः श्रीमती पूनम रानी पत्नी श्री सुनील कुमार, सह-ऋणीः श्री सुनील कुमार पुत्र श्री विष्णु दयाल, जमानतकर्ताः श्री राजू पुत्र श्री महावीर। खाता नं. 9155NC00004839, 9155TU00000035.	आवासीय मकान नं. 212, नई मंडी, कसेरू खेड़ा, तहसील और जिला मेरठ में स्थित, जोकि श्रीमती पूनम रानी पत्नी श्री सुनील कुमार के नाम से स्थित है और जिसका क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर। चौहद्दीः पूर्वः 30 फीट, फिर श्री अशोक कुमार का मकान, पश्चिमः 30 फीट, फिर 07 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः 30 फीट, फिर 07 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः 30 फीट, फिर श्रीमती गायत्री देवी का प्लॉट।	मांग नोटिस की तिथि 04.05.2026 पजेशन की तिथि 29.07.2026	रू. 24,97,985.50 + देय ब्याज + देय अन्य खर्चे।

दिनांकः 03.08.2026 **प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक।**

HDFC BANK
We understand your world

एचडीएफसी बैंकः प्रधान कार्यालय : एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400 013, • एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, विशेष परिचालन विभाग, भू-तल, गुलाब भवन, 6 बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली – 110 002

माँग सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित ऋणधारकों ने बैंक से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के मूलधन के पुनर्भुगतान तथा ब्याज के भुगतान में चूक की है और उक्त सुविधाओं को बैंक द्वारा अनिष्पादनकारी परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पते पर सूचना जारी की गई थी, हालांकि, इनमें से कुछ सूचनाएं बिना वितरण/अदावेकृत होकर वापस आ गई हैं, अतः इसके माध्यम से सार्वजनिक सूचना द्वारा उन्हें इस बारे में सूचित किया जाता है।

ऋणधारकों तथा सह-ऋणधारकों / बंधककर्ता का नाम	माँग सूचना 13(2) की तिथि तथा राशि	अचल संपत्ति की अनुसूची
1. **मैसर्स कामा मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड (ऋणधारक/बंधककर्ता)** अपने निदेशकों के माध्यम से, पंजीकृत कार्यालय : डब्लूजेड-3115ए, दूसरी मंजिल, रानी बाग, महेंद्र पार्क, नई दिल्ली – 110034, 2. श्री सुनील कुमार मित्तल (गारंटर/बंधककर्ता) मकान नं. 105बी, गौशाला रोड, न्यू मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश – 251001, **3. श्री सजल मित्तल कुमार (गारंटर)** मकान नं. 105बी, गौशाला रोड, न्यू मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश – 251001, **4. श्रीमती अंजू रानी (गारंटर/बंधककर्ता) मकान नं.** 105बी, गौशाला रोड, न्यू मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश – 251001, **5. श्री दुर्गा इस्पात (एक साझेदारी फर्म) (गारंटर/बंधककर्ता)** खसरा नं. 10 ए, गांव रायपुर, पोस्ट – भगवानपुर, जिला – रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड	रु. 31,87,37,186.66 तिथि 19–05–2026 के अनुसार **सूचना तिथि :** 25.05.2026 **एनपीए की तिथि :** 31.03.2021 **ऋण उत्पाद :** कैश क्रेडिट (सीसी) टर्म लोन (टीएल)	**1. औद्योगिक संपत्ति** खसरा नं. 207, खतौनी नं. 15, गांव रायपुर, पोस्ट – भगवानपुर, रुड़की, हरिद्वार – 249401, उत्तराखंड, क्षेत्रफल – 0.6205 हेक्टेयर, **स्वामित्वधारक :** कामा मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, **2. औद्योगिक संपत्ति, खसरा नं.** 168एम, खाता नं. 00043, रुड़की, हरिद्वार – 244093, उत्तराखंड, क्षेत्रफल – 0.1841 हेक्टेयर, स्वामित्वधारक : श्री दुर्गा इस्पात, **3. मकान नं. 105बी,** गौशाला रोड, न्यू मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल – 388.70 वर्ग मीटर, **स्वामित्वधारक :** सुनील कुमार मित्तल तथा अंजू रानी

सूचना की वैकल्पिक प्राप्ति के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों तथा उनके गारंटरों (जहां भी लागू हो) को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने की सलाह दी जाती है, ऐसा न करने पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाइयां की जाएंगी। ऋणधारकों का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध अधिकारों के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

तिथि : 03–08–2026, स्थान : दिल्ली/एनसीआर **कृते एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी**

BRANCH SHIFTING

For the better convenience of our valued customers, we are shifting Pataudi (3377), under Hissar Region to our new premises with effect from

01/11/2026

The new address is as mentioned below:

Muthoot Finance Ltd.
Ground Floor, Main Chowk,
Haily Mandi Road, Pataudi,
Dist. Gurgaon, Haryana-122503
Ph.: 9746895827, 9746896018
E-mail: mgpat3377@muthootgroup.com
In case of any grievance, please call: 011-46697801.
We solicit your continued patronage and support.

Muthoot Finance
muthootfinance.com
Muthoot Family - 800 years of Business Legacy

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालयः सं. 167-169, इंडस्ट्री मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015, शाखा कार्यालयः कार्यालय संख्या-210/211, इंडस्ट्री मंजिल, दशमेश प्लाजा, सेक्टर-20बी, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001
ईमेल : auction@hindujahousingfinance.com

• आरएलएम :– श्री प्रमोद चंद – 9990338759 • सीएलएम :– दिनेश जोशी – 9910474899

सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 की सं. 3) के अंतर्गत **हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाता के सामने उल्लेखित तिथियों को एक मांग सूचना जारी की थी तथा जिसका उल्लेख आगे किया गया है, जिसमें ऋणधारक (इसके बाद ऋणधारक और गारंटरों को सामूहिक रूप से ''ऋणधारकों'' कहा गया है) से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया था।
ऋणधारक राशि का पुनर्भुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के सामने उल्लेखित इन तिथियों को प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 4 के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति के संबंध में कोई लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई भी लेन-देन उपर्युक्त राशि पर अनुबंधित दर से भावी ब्याज तथा उस पर होने वाले आनुषंगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ **हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभाराधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	लैन नं. / ऋणधारकों / गारंटरों के नाम तथा पते	मांग सूचना की तिथि / कब्जा की तिथि	बकाया राशि
1	**HR/GGN/FRBD/A000002717, श्री अनिल कुमार पुत्र श्री उदय कुमार, श्रीमती मीना पत्नी श्री अनिल कुमार, दोनों निवासी :** मकान संख्या– 25, वार्ड नं.– 5, अलीगढ़ रोड, अम्बेडकर पार्क के पास, सल्लागढ़, पलवल, हरियाणा–121102	15–04–2026 / 27–07–2026 सांकेतिक	रु. 46,45,089/– तिथि 15–04–2026 के अनुसार तथा राशि पर देय ब्याज
	संपत्ति का विवरण : संपत्ति क्षेत्रफल 6 मरला (181 वर्ग गज) (संपत्ति आईडी– 3po77tf7), खेवट/खाता संख्या– 5591/5823 में से, मस्ट. नं.– 142, किला संख्या– 19/4, (1–4), किता 1, 1 कनाल 4 मरले में से 6/24वां भाग, वाका मौजा पलवल (सल्लागढ़), हरियाणा–121102 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है, **सीमाएँ :–** पूर्व– तरुण का मकान, पश्चिम– राजू का मकान, उत्तर– अलीगढ़/पलवल रोड, दक्षिण– आकाश का मकान।		
2	**HR/GGN/FRBD/A000001722, श्री प्रिंस पुत्र श्री बिजेंद्र,** मकान संख्या डी–269, वार्ड नं. 15, आर्य नगर, पलवल, हरियाणा–121102, **श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री बिजेंद्र,** मकान संख्या 31, वार्ड नं. 15, आर्य नगर, पलवल, हरियाणा–121102	08–04–2026 / 27–07–2026 सांकेतिक	रु. 16,67,622/– तिथि 07–04–2026 के अनुसार तथा राशि पर देय ब्याज
	संपत्ति का विवरण : संपत्ति क्षेत्रफल 90 वर्ग गज, खेवट/खाता संख्या 1560/1761, मस्ट नं. 199, किला संख्या 9/2 (3–17) में से 3/77वें भाग में समाविष्ट, एकता नगर (कालरा कॉलोनी), सिटी हॉस्पिटल के पास, पलवल, हरियाणा – 121102 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है, **सीमाएँ :–** पूर्व– राजेंद्र का मकान, पश्चिम– मोनिका का प्लॉट, उत्तर– बबली का प्लॉट, दक्षिण– रास्ता।		

तिथि : 03–08–2026, स्थान : हरियाणा **प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

यूको बैंक

कब्जा सम्बन्धी नोटिस अचल सम्पत्ति हेतु नियम 8(1))

सिक्योरिटीजाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम 2002 नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाये गए खातें में उसके नाम के सामने दी गई तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का कब्जा ले लिया गया है। ऋणी को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन-देन **यूको बैंक,** को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत अस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी/गारन्टर का नाम व पता एवं शाखा	बंधक सम्पत्ति का विवरण मांग नोटिस/कब्जे नोटिस की तिथि एवं बकाया राशि
1.	**शाखाः सहारनपुर (0232)** **उधारकर्ता एवं बंधककर्ताः** श्री परमेन्द्र कुमार पुत्र श्री सहानासरपाल एवं श्रीमती ज्योति पुत्री श्री रामपाल एवं पत्नी श्री परमेन्द्र कुमार **(सह-उधारकर्ता)**, श्री जावेद हसन पुत्र श्री अब्दुल हसन एवं श्री सहेंसर पाल पुत्र श्री खचेडू सिंह **(गारंटर)**।	बंधक सम्पत्ति एक उत्तरमुखी आवासीय मकान है, जिसका क्षेत्रफल 45.98 वर्ग मीटर है, जो प्लॉट संख्या 3/1617/एफ, मोहल्ला बाल्मीकि बस्ती, बेरी बाग, जनपद सहारनपुर में स्थित है। सीमाएँः- पूर्वः श्री सुखी राम का मकान, पश्चिमः श्री ओम प्रकाश का मकान, उत्तरः 10 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः अन्य का मकान। **डिमांड नोटिस की तिथिः 20.05.2026, कब्जे नोटिस की तिथिः 30.07.2026, बकाया राशिः रू0 5,61,124.00 + दिनांक 30.05.2020 तक, जिसमें दिनांक 01.06.2020 तक ब्याज।**
2.	**शाखाः सहारनपुर (0232)** **उधारकर्ता एवं बंधककर्ताः** श्री राम कुमार पुत्र श्री बिशम्बर सिंह एवं श्रीमती रेनू बाला पत्नी श्री राम कुमार **(सह-उधारकर्ता)** तथा श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी श्री बिशम्बर **(गारंटर)**।	बंधक संपत्ति एक आवासीय मकान है, जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग गज है, जो खसरा संख्या 595/1, प्लॉट संख्या 45, दारा शिवपुरी बरून कॉलोनी, भगवत वाटिका, लक्ष्मी नगर के निकट, जनपद सहारनपुर में स्थित है। यह संपत्ति श्री राम कुमार पुत्र श्री बिशम्बर सिंह के नाम पर दर्ज है। सीमाएँः- पूर्वः 15 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः रेलवे की संपत्ति, 30 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः प्लॉट संख्या 46, दक्षिणः प्लॉट संख्या 44। **डिमांड नोटिस की तिथिः 20.05.2026, कब्जे नोटिस की तिथिः 30.07.2026, बकाया राशिः रू0 6,32,401.00 + दिनांक 31.03.2011 तक, जिसमें दिनांक 01.04.2011 तक ब्याज।**

दिनांक–01.08.2026 **प्राधिकृत अधिकारी**

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
भारत सरकार का उद्यम एक परिवार एक बैंक

ई-नीलामी सूचना

अंचल कार्यालय–एलडीए ऑफिस के सामने, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, ई–मेल–legal_luc@mahabank.co.in, प्रधान कार्यालय–लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे–5

ई–नीलामी द्वारा विक्रय हेतु आम सूचना

सरफेसी अधिनियम 2002 तथा सहपठित नियम 8(6) व 9 (1) of 2002 के अंतर्गत की नीलामी के द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बंधक अचल संपत्ति के विक्रय की सूचना

इस आम सूचना के द्वारा बैंक के अनर्जक खातेदार, जमानतदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल संपत्तियाँ जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बंधक हैं तथा जिनका कब्जा (सांकेतिक/ प्रत्यक्ष) प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत लिया जा चुका है। यह संपत्तियाँ **"जहाँ है जैसी है" "जैसा है जो है" "जहां भी है" तथा "दायित्व रहित"** आधार अनर्जक खातों में ऋण की वसूली हेतु नीचे उलिखित तिथि को ई नीलामी द्वारा विक्रय की जाएंगी। अनर्जक खाते, खाताधारक, जमानतदार, बैंक पर बकाया धनराशि, ऑनलाइन नीलामी द्वारा विक्रय की जाने वाली संपत्ति का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी में किसी तरह का संपत्ति पर भार, संपत्ति पर कब्जे का प्रकार, विक्रय की धनराशि (RESERVE PRICE), नीलामी में भाग लेने हेतु जमा की जाने वाली पूर्व धनराशि (**EMD AMOUNT**) इत्यादि की जानकारी निम्नलिखित है–

ई-नींलामी की दिनांक व समय | **18/08/2026 को दोपहर 01:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक (बोली वृद्धि प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार)**

निविदा जमा करने/के.वाई.सी. दस्तावेज/ईएमडी इत्यादी जमा करने की अंतिम तिथि–18.08.2026

क्र. सं.	ऋणी/ज़मानतदार का नाम एवं पता	बकाया धनराशि जिसके लिए सम्पत्ति विक्रय की जा रही है	सम्पत्तियों का विवरण	कब्जा का प्रकार	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि की राशि
	शाखा–आस्ति वसूली शाखा (ARB), लखनऊ, ई–नीलामी दिनांक–18.08.2026				
1.	**1) मोहम्मद इरफान अब्बासी पुत्र इक़बाल अहमद,** पताः ठाकुर वाली गली, सिराज नगर, मल्लीपारा, भुजपारा, परगना एवं तहसील–कोली, जिला–अलीगढ़, उत्तर प्रदेश–202001 **2) श्रीमती रानी पत्नी मोहम्मद इरफान अब्बासी,** पताः ठाकुर वाली गली, सिराज नगर, मल्लीपारा, भुजपारा, परगना एवं तहसील–कोली, जिला–अलीगढ़, उत्तर प्रदेश–202001	रू. **40,89,661/–** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 08.11.2023 से	**लॉट सं. 1)** साम्यिक बंधक सम्पत्ति स्थित खेत संख्या–32 का भाग, मौजा अलहदादपुर, निवाड़ी, परगना एवं तहसील–कोली, अलीगढ, **क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मीटर, (स्वामिनीः श्रीमती रानी पत्नी मोहम्मद इरफान अब्बासी), चौहद्दी–:उत्तरः** 18 फीट चौड़ा रास्ता, **पूर्वः** प्लॉट का शेष भाग, **पश्चिमः** 14 फीट चौड़ा रास्ता, **दक्षिणः** श्री शैलेन्द्र कुमार की संपत्ति	सांकेतिक	रू. 43,90,000/– / रू. 4,39,000/– / रू. 20,000/–
2.	**1. श्री शान मोहम्मद,** पता 1– मकान संख्या 151, सराय कुतुब, आशिक अली रोड, तीन वाली मस्जिद के पास, कोइल, अलीगढ़–202001, पता 2–मकान संख्या नगर निगम सं. 114/4313, खसरा संख्या 3131, 3132, 3134, 3135 एवं 3137 के भाग में स्थित, तुर्कमान गेट, नूर मस्जिद वाली गली, कोइल, अलीगढ़–202001 **2. श्रीमती नगीना, पत्नी श्री शान मोहम्मद,** पता 1– मकान सं. 151, सराय कुतुब, आशिक अली रोड, तीन वाली मस्जिद के पास, कोइल, अलीगढ–202001	रू. **35,78,236/–** + ब्याज संविदात्मक रेट से, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 06.05.2025 से	**लॉट सं. 2)** साम्यिक बंधक आवासीय संपत्ति, जो नगर निगम संख्या 11/4313 से अभिलिखित है, तथा जो खसरा संख्या 3131, 3132, 3134, 3135 एवं 3137 का भाग एवं हिस्सा है, मोहल्ला तुर्कमान गेट, नूर मस्जिद वाली गली, कस्बा कोइल–2, नगला आशिक अली के निकट, पी एंड टी, कोइल, अलीगढ़–202001, **क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर, चौहद्दी–:उत्तरः** 15 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिणः** सोनू का प्लॉट, **पूर्वः** इल्लू का मकान, **पश्चिमः** मदीना का मकान	सांकेतिक	रू. 27,10,000/– / रू. 2,71,000/– / रू. 20,000/–

नोटः उपरोक्त सभी सम्पत्तियों पर भार/अन्य चार्ज इत्यादी की जानकारी–: प्राधिकृत अधिकारी के संज्ञान मे किसी तरह का भार/अन्य चार्ज जानकारी में नही है।
विक्रय निर्धारित निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट नियम एवं शर्तों के कठोरता से अनुपालन की शर्त पर है और "जैसा है जहाँ है" तथा ""जो कुछ भी है वही है" दायित्व रहित आधार पर किया जायेगा।
1. यह बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधानों द्वारा अनुशासित हैं एवं निम्नलिखित विशिष्ट नियम एवं शर्तों के अधीन है:
2. उल्लिखित सम्पत्ति हेतु नीलामी विक्रय केवल वेबसाइट **https://baanknet.com** के माध्यम से ''ऑनलाइन ई– नीलामी/संविदा'' के माध्यम से उपर लिखित तिथि को दोपहर 01:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक सम्पन्न होगी। नीलामी के अन्तिम 5 मिनटों में संविदा प्राप्त होने की स्थिति में प्रत्येक 5–5 मिनट के असीमित विस्तार दिया जायेगा। संविदाकार सम्पत्ति हेतु ऑनलाइन संविदा के दौरान अपने प्रस्ताव सम्पत्तियों के सामने लिखित राषी के गुणक में बढ़ा सकेंगे।
3. संविदाकार द्वारा ईएमडी सहित ऑनलाइन संविदा हेतु केवाईसी जमा करने उपरोक्त सम्पत्तियों हेतु अन्तिम तिथि उपर लिखित है।
4. ई– नीलामी के इच्छुक भागीदार विक्रय सूचना की प्रतियों, ई– नीलामी के नियम एवं शर्ते, ई–नीलामी के प्रचालनातमक भाग के हेल्प मैनुअल **https://baanknet.com** से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं
5. इच्छुक संविदाकार/क्रेता से अपने मोबाइल नम्बर तथा ई–